

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

|| प्रेस विज्ञप्ति ||

मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-234/CS/Res, दिनांक-12.05.2021 के अनुसार "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" के तहत दिनांक-16.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से दिनांक-27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों से आवागमन हेतु E-Pass की व्यवस्था की गई है। E-Pass विभागीय पोर्टल epassjharkhand.nic.in से ऑनलाईन निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-


E-Pass निर्गमन हेतु ऑनलाईन आवेदन Apply करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :-

- I. E-Pass हेतु विभागीय पोर्टल epassjharkhand.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने के समय निजी जानकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरणी पूर्णतः सही होनी चाहिए।
- II. E-Pass निम्न श्रेणी हेतु निर्गत किया जायेगा।
 1. Going outside Jharkhand.
 2. Outside the District but within Jharkhand.
 3. Within the District Boundary.
 4. Coming inside Jharkhand.
- III. आम नागरिकों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए E-Pass को निम्न श्रेणी में बाँटा गया है :-
 1. PDS dealer. For upto 27th May (From 6 Am to 3 PM Daily)
 2. Owner/ Employee of petrol pump/LPG/CNG outlet.(For upto 27th May-No time limit)
 3. Owner/Employee of shop selling fruits/vegetables/grocery/food grains/milk/sweet shops/eatables. For upto 27th May (From 6 Am to 3 PM Daily)
 4. Owner/Employee of hotel/restaurant/dhaba.(For upto 27th May - No time limit)
 5. Person providing transportation/logistics/warehousing services. (For upto 27th May - No time limit)
 6. Person engaged in mining.(For upto 27th May - No time limit)
 7. Person engaged in construction. (For upto 27th May - No time limit)
 8. Person engaged in Industry. (For upto 27th May - No time limit)
 9. Owner/Employee of shop selling construction related items.For upto 27th May (From 6 Am to 3 PM Daily)
 10. Owner/Employee of shop selling agriculture items. For upto 27th May (From 6 Am to 3 PM Daily)
 11. Owner /Employee of vehicle repair shop.(For upto 27th May - No time limit)
 12. Buyer of permitted goods.(For 2 Hours - From 6 Am to 3 PM Daily)
 13. Government Employee.(For upto 27th May - No time limit)
 14. Electricity/water supply/municipal/telecom services. (For upto 27th May-No time limit)
 15. Media/courier/security services (For upto 27th May - No time limit)
 16. Marriage (For one Day)
 17. Last rites. (For one Day)
 18. Air/Rail travel.(For one Day)

- IV. Health Care Workers (सभी सरकारी/निजी अस्पताल में कार्यरत सभी तरह के कर्मी, मेडिकल हॉल संचालक तथा उसमें कार्य करने वाले कर्मी, ऑक्सीजन प्लान्ट में कार्य करने वाले सभी प्रकार के कर्मी तथा ऑक्सीजन आपूर्ति एवं परिवहन में संलग्न कर्मी) संस्थान प्रमुख द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ बिना E-Pass के आवागमन कर सकेंगे।
- V. E-Pass निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन एवं निःशुल्क है। E-Pass हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय पोर्टल epassjharkhand.nic.in पर आवेदन किया जायेगा एवं E-Pass उक्त पोर्टल से ही डाउनलोड किया जायेगा। इस E-Pass हेतु किसी भी परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
- VI. किसी भी आवेदक द्वारा E-Pass निर्गत करने हेतु दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अतः आप सभी से आग्रह है कि वर्तमान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विशेष आवश्यकता होने पर ही E-Pass हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाय।

“घर पर रहे, सुरक्षित रहे”


15/05/21
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।